

National Scholarship

Disabilities, Central Sector, BidiWorkers, LSDM, IOMC,
Cine Workers, Central Armed Police Forces And Assam Rifles, PG Indira
Gandhi Scholarship For Single Girl Child, PG Scholarship For University
Rank Holders (1st And 2nd Rank Holders)

दिनांक:- 12/09/2024

सत्र 2024-25 की छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु

उपरोक्त सभी छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित मापक को पूर्ण रखने वाले विद्यार्थी ऑनलाइन वेबसाइट <http://scholarships.gov.in/> में रजिस्ट्रेशन कर आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/10/2024 है।

COLLEGE AISHE Code (Dice Code) - C-33354

नोट:- शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी छात्रवृत्तियों में से पात्रता रखने वाले विद्यार्थी किसी भी एक छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं।

विद्यार्थी नीचे लिखे दस्तावेजों को क्रमानुसार लगाकर अनिवार्य रूप से जमा करें :-

1. विद्यार्थी के द्वारा ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म की हार्ड कॉपी।
2. विद्यार्थी की पासपोर्ट फोटो।
3. विद्यार्थी इंस्टीट्यूट सत्यापन (बोनाफाइड)।
4. स्थानीय निवासी (मूलनिवास) प्रमाण पत्र। (तहसीलदार द्वारा प्रमाणित)
5. विद्यार्थी (ओबीसी, एससी, एसटी) समुदाय से है तो प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा प्रमाणित)
6. पिता का आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा प्रमाणित या स्व-प्रमाणित)
7. विद्यार्थी 10वीं से लेकर वर्तमान वर्ष की मार्कशीट स्व-प्रमाणित कर संलग्न करें।
8. विद्यार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति
9. समग्र आईडी की छायाप्रति (स-परिवार)
10. विद्यार्थी के नाम की बैंक खाता छायाप्रति
11. वर्तमान वर्ष की प्रवेश शुल्क की पावती
12. विद्यार्थी का आई-डी कार्ड की छायाप्रति
13. आधार वेब साइट से बैंक लिंकिंग स्टेटस की छायाप्रति

लिंकिंग स्टेटस - <https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper>

14. Bidi Workers, LSDM, IOMC, Cine Workers कार्यकर्ता के पहचान पत्र की प्रतिलिपि (Photo Copy of Identity Card) (खदान के मामले में फॉर्म बी पंजीकरण संख्या कर्मी)। आय सीमा 8000/- प्रति महीना।
 - सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत छात्र जो 10+2 पैटर्न या समकक्ष की कक्षा 12वीं परीक्षा बोर्ड में सफल उम्मीदवारों के 80% से अधिक हैं और नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करते हैं। माता-पिता/अभिभावक की आय इस योजना के तहत सभी श्रेणियों के लिए प्रति वर्ष 8 लाख रुपये।
 - विकलांग छात्र 40% या उससे ज्यादा विकलांगता का प्रमाण पत्र।

विशेष: उपरोक्त छात्रवृत्ति पात्र सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन के साथ अनिवार्य डाक्यूमेंट लगाकर महाविद्यालय कार्यालय में 25 अक्टूबर 2024 के पूर्व जमा करें अन्यथा आवेदन निरस्त किया जायेगा।



प्राचार्य

PRINCIPAL

St. Aloysius College (Autonomous)
JABALPUR- 482001 (M.P.)
INDIA